Epitome Journals
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN : 2395-6968 | Impact Factor = 3.656

# राजभाषा हिंदी के समक्ष चुनौतियाँ

प्रा. राजेंद्र इंगोले
पूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग
स.गा.म. कॉलेज, कराड

## Abstract :

आज आजादी के 67 साल बाद भी संपूर्ण भारत वर्ष में सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को राजभाषा के रुप में पूरी तरह से अपनाया नहीं गया। यह बात निश्चित रुपसे सन 2020 तक महासत्ताक राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर चलनेवाले राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। महासत्ताक राष्ट्र का सपना तो बहुत सुंदर है। पर इस सपने को साकार करने के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण कदम उठाए नहीं जा रहे है। देश के संविधान में हिंदी को राजभाषा का पद तो मिला, पर आजतक वह यह पद पाने के बावजुद भी वह उपेक्षित ही रही । देश की बहुसंख्याक जनताद्वारा वह बोली जाती है, समझी जाती है, दैनिक व्यवहार में उसका उपयोग किया जाता है। इसके वावजुद भी राजभाषा के रुपमें हिंदी आज भी संघर्ष कर रही है।

**Keywords :** आजादी, हिंदी, राजभाषा, सन 2020, संघर्ष

## Research Paper :

### भूमिका :

स्वतंत्रतापूर्व भारत में शताब्दियों तक हिंदी का किसी भी भाषा के साथ कोई संघर्ष नहीं था। लेकिन विदेशी शासकोंद्वारा पहले फारसी और बाद में अंग्रेजी को राजभाषा बनाकर हिंदी का न्यायोचित अधिकार छीन लिया गया। यही कारण है कि हिंदी को अपना 'राजभाषा' का पद पाने के लिए कडा संघर्ष करना पडा। इसलिए कई आंदोलन भी चलाए गए। इन कई आंदोलनों के दौरान उसके सामने कई चुनौतियाँ निर्माण हुई । इन चुनौतियों के साथ संघर्ष करते–करते वह आगे बढ़ रही है।

आम तौर पर हर स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा को ही 'राजभाषा' का गौरव प्राप्त होता है और वही राष्ट्र अपनी बहुमुखी प्रगति कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रुप में स्थान मिला। संविधान में राजभाषा का भी पद उसे मिला, पर देश के प्रशासन ने उसे उपेक्षित ही रखा। राजभाषा का सामान्य और सरल अर्थ है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रयोग में लायी जानेवाली भाषा। केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए राजभाषा का प्रयोग किया जाना जरुरी है। पर दुर्भाग्यवश इस संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों की उदासिनता ही सामने आती है। स्वतंत्र भारत के संविधान में स्थान पाने के बाद भी वह उपेक्षित ही रही है। इस स्थिति को बदलना जरुरी है।

> ''व्यवहारिक रुप में आज भी राजभाषा का स्थान अंग्रेजी के कब्जे में है, हिंदी तो नाममात्र के लिए राजभाषा कही जाती है। भारत के इस स्वतंत्र परिवेश में हर एक दृष्टि से राजभाषा संबंधी सभी कार्य हिंदी को सौंपना आवश्यक है, अन्यथा मस्तिष्क और हृदय के साथ कर्म का गठबंधन नहीं हो सकेगा, इच्छा, क्रिया और ज्ञान बिखरे ही रह जायेंगे।''[1]

उदासीन मानसिकता के कारण और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में राजभाषा के संदर्भ में बडी विचित्र स्थिति निर्माण हुई है। उसके सामने कई चुनौतियाँ निर्माण हुई है।

आजादी से पहले हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संदर्भ में अंग्रेजों के द्वारा विरोध किया जाना, कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं थी। अंग्रेजोंने उर्दू को ढाल बनाकर हिंदी का विरोध किया। पर आज आजादी के 67 साल बाद भी उसकी योग्यता में कमी दिखाई जा रही है। राजभाषा हिंदी के संदर्भ में इतने प्रश्न निर्माण किए गए हैं कि यह विषय सुलझने की बजाए और अधिक उलझता ही गया है। जब–जब राजभाषा हिंदी को उसके मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतू कोई आंदोलन चलाया गया, तब तब खुलेआम इस बात का विरोध किया गया। चंद राजनीतिक नेताओं तथा अधिकारियों का इस विषय के संदर्भ में बहुत ही कड़ा रुख रहा है। विशेषकर दक्षिण भारत से इसका प्रखर विरोध होते आ रहा है। जहाँ एक ओर इनमें प्रान्तीय भाषाओं के प्रति अपार मोह है, वहाँ दूसरी ओर अंग्रेजी का जबरदस्त आकर्षण भी है। अंग्रेजी ज्ञान के प्रति आग्रह रखना कोई बुरी बात नहीं है। पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए तीव्रतम विरोध आश्चर्यजनक है। कई गैरभाषी हिंदी प्रदेशों तथा हिंदी और अहिंदी भाषी राजनीतिक नेआतों ने विशेषकर तमिलोंद्वारा प्रखर विरोध के कारण हिंदी से उसका अधिकार छिनने का प्रयास किया गया। इस विषय को लेकर कई जगहोंपर हिंसक घटनाएँ घटी, उपद्रव हुआ। फलस्वरुप भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु को आश्वासन देना पडा कि यदि एक भी राज्य हिंदी का विरोध करेगा तो हिंदी को राजभाषा बनाया नहीं जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्रीने भलेही देश में शांती का वातावरण निर्माण करने के लिए यह बात कही हो, पर आज देश को इसका दुष्परिणाम भूगतना पडा रहा है। नेहरुजी यदि राजनीतिक इच्छाशक्ती दिखाते तो आज चित्र कुछ और होता। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि आज भी हिंदी के सामने राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव यह सबसे बडी चुनौती है।

हमारा देश दुनिया का एक बहुत बडा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों की सक्रिय भागिदारी महत्वपूर्ण होती है। लोगों की सक्रियता के बगैर न लोकतंत्र मजबुत बनेगा और न ही देश समृध्द बनेगा। लोकतंत्र को चलाया जा सकता है लोकभाषा से । देश को समृध्द किया जा सकता है देश की भाषा से। देश की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक अर्थात देश की बहुमुखी प्रगति के लिए लोगों की भाषा का प्रयोग जरुरी है। देश के लोग अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का प्रयोग कर रहे है। पर दकियानुसी मानसिकता के चलते प्रशासन जान बुझकर हिंदी की उपेक्षा कर रहा है। राजभाषा हिंदी के सामने प्रशासन की उपेक्षा भी एक बहुत बडी चुनौती है।

यदि कोई भाषा जनभाषा के रुप में कई वर्षों से व्यवहार में प्रचलित है, तो उस जनभाषा को ही राजभाषा का पद मिलना जरुरी है। यही जनभाषा राजभाषा के पद पर आसीन होगी तो उस भाषा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। उसका महत्व घटता नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे देश में


Dr. Pramod Ambadasrao Pawar, Editor-in-Chief ©EIJMR, All rights reserved.

आजादी से पहले भी जनभाषा के रुप में व्यवहार में प्रचलित थी। पर राजभाषा के रुप में उसका उपयोग किया नहीं गया। आज तो भूमण्डलीकरण के दौर में वह विश्वभाषा बन चुकी है। सभी विषयों पर अभिव्यक्ति की उसमें क्षमता है। यह क्षमता होते हुए भी राजकाज से जहाँ तक संभव हो सके उसे दूर ही रखा जा रहा है। प्रशासन में दक्षिण भारतीयों की भरमार है। और ये अधिकारी नहीं चाहते कि हिंदी राजभाषा बने। यदि हिंदी राजभाषा बनेगी तो प्रशासन में जो उनकी धाक है, वह कम होगी। इनकी यह ओछी मानसिकता राजभाषा हिंदी के सामने एक बहुत बडी चुनौती है।

आजादी के बाद संविधान निर्माण के दौरान हिंदी को राजभाषा का अधिकार न देने के पीछे कारण बताया गया कि उसमें योग्यता की कमी है। और आज आजादी के 67 साल बाद भी यही बात दुसरे अंदाज में कही जा रही है। कहा जा रहा है कि वह तकनीकी प्रयोग के अनुकूल नहीं है।

> ''कोई भाषा कितनी विकसित तथा समर्थ है इसका मूल्यांकन इस आधारपर ही किया जा सकता है कि उसके साहित्य में कितनी विविधता है, क्या उसमें सभी विषयों के विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता है, उस भाषा का प्रयोग किन–किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में हो रहा है क्या वह भाषा आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम है, तथा भविष्य में प्रगति के लिए उसकी क्या संभावनाएँ है।''[2]

इन सभी कसौटियों पर हिंदी को परखेंगे तो पता चलेगा कि ये सारी क्षमताएँ हिंदी में मौजुद है। आज किसी भी विषय के मूल्यांकन की क्षमता हिंदी में है। कठिन से कठिन वैज्ञानिक विषय हो कोई तकनीकी साहित्य हो हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी के विकास के लिए समय समय पर जो निर्णय लिए गए उन पर कई बार अमल नहीं होता। यदि अमल होता भी है तो उचित दिशा में काम नहीं होता। विषय के अनुकूल परिभाषिक शब्दावली के निर्माण में बाधाएँ निर्माण की जाती है। राजभाषा आयोग ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण पर बल दिया, उसकी अवश्यकता रेखांकित की। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करते समय सावधानी बरतनी पडती है। काफी सोच विचार के बाद पारिभाषिक शब्दों के लिए पर्याय तय करने पडते है। लेकिन विशषज्ञों द्वारा पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करते समय बडी लापरवाही बरती जाती है। बार–बार पारिभाषिक शब्दावली के पर्याय बदले जाते हैं, जिससे गलत संदेश जाता है। कर्मचारी और सामान्य जनता ऐसे पर्यायों का प्रयोग करते समय असुविधा का सामना करते हैं। यह स्थिती राजभाषा हिंदी के समक्ष एक और चुनौती बनकर खडी है।

स्वतंत्रता के बाद भाषा की राजनीति ने हिंदी का बहुत नुकसान किया। अहिंदी भाषिक प्रदेशों में यह राजनीति अधिक हुई।

> ''शायद उनके मन में डर है कि अंग्रेजी राजभाषा के पद से हट गयी तो हिंदी क्षेत्र के लोग सरकारी नौकरियों से जादा अनुपात में आ जायेंगे। अहिंदी भाषी दक्षिण के लोगों का वर्चस्व नहीं रहेगा। इस मनोवृत्ति के कारण हिंदी राजभाषा बनाने पर भी पूर्ण सम्मान प्राप्त नहीं कर सकी। दुसरे उत्तर और दक्षिण के बीच संघर्ष के बीज भी इसी कारण पडे।''[3]

आज भी यह संघर्ष कम आधिक मात्रा में हमारे सामने आता है। हमारे सामने इस संघर्ष को मिटाने की चुनौती है। क्यों कि अपवाद रुप में ही सही आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भाषा की अस्मिता का झंडा हाथ में लेकर हिंदी का विरोध कर रहे है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओरसे सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में हो, इसलिए समय समय पर राजभाषा विभागद्वारा आदेश दिए जाते हैं। हिंदी का प्रयोग किन किन कार्यों में और किस प्रकार हो, इस संदर्भ में सूचना दी जाती है। निश्चित रुप से राजभाषा विभाग का यह एक सराहनीय कदम है। पर साथ–साथ इस विभाग की यह भी जिम्मेदारी है कि दिए गए आदेशों के अनुसार तथा सूचना के तहत उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं। यह देखने के लिए स्वतंत्र ऐसी एक व्यवस्था का होना जरुरी है। प्रारंभ में यह व्यवस्था नहीं थी। गृहमंत्रालय का ध्यान इस स्थिति की ओर आकर्षित किया गया। भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों की संख्या बहुत बडी है। इनमें सरकारी कामकाज कितनी मात्रा में हिंदी के माध्यम से किया जा रहा है इसकी जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल है। फलस्वरुप भारत सरकार के राजभाषा संबंधी विभिन्न आदेशों के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। बावजुद इसके सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जा रहा है। इन कार्यालयों को इस बात की ओर बडी गंभीरता से ध्यान देना होगा। तब कहीं जाकर हिंदी का प्रयोग बढ़ सकता है।

सरकारी कार्यालय में ऐसे अनेक हिंदी प्रेमी व्यक्ती है जो सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करना चाहते है। लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वे दुविधा की स्थिति में पड जाते है। वे हिंदी में बात करते हैं, हिंदी समझ भी सकते हैं, पर उनमें प्रश्न निर्माण होता है कि क्या वे हिंदी में लिख सकेंगे? सरकारी कर्मचारियों में हिंदी प्रयोग की दृष्टि से आत्मविश्वास की कमी भी एक चुनौती बनकर हमारे सामने आती है।

**निष्कर्ष :**

निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि आज भूमण्डलीकरण के दोर में जब हम हिंदी की विश्वभाषा के रुप में वकालत करते है, तब हम भारतीयों का यह दायित्व बन जाता है कि हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी के रास्ते में आनेवाली समस्त बाधाओं को दूर करे। पहले हम उसे असका सम्मान दे। अपने घर में उसका गौरव बढ़ाएँ । सब भारतीयों को चाहिए कि हम अपनी मानसिकता बदलें । क्योंकि हमारा मानसिक अवरोध राजभाषा हिंदी के समस्त बहुत ही बड़ी चुनौती है। राजभाषा हिंदी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग को चाहिए कि वह और अधिक चुस्त बने । राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करे और इसके कार्यान्वयन की ओर ध्यान दे।

## संदर्भ :


- राजभाषा के संदर्भ में हिंदी आन्दोलन का इतिहास

– उदय नारायण दुबे, प्रथम संस्करण 1979, पृ. 16

- राजभाषा हिन्दी संघर्षों के बीच

– हरिबाबू कंसल, प्रथम संस्करण 1991, पृ. 83

- हिन्दी : राष्ट्रभाषा से विश्वभाषा की ओर

– सं. डॉ. सुरेश माहेश्वरी, प्रथम संस्करण 1998, पृ. 91



Dr. Pramod Ambadasrao Pawar, Editor-in-Chief ©EIJMR, All rights reserved.